बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक-6/ज0गु0-105/2008- 2372 पटना, दिनांक- 6/8/10

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
(योजना एवं रूपांकण तथा यांत्रिक प्रमंडलों को छोड़कर)।

विषयः- जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों में अवस्थित सभी जल स्रोतों की जल जाँच करने एवं उसकी जानकारी लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आप, अपने प्रमंडलों के अन्तर्गत अवस्थित सभी गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों के सभी जल स्रोतों की जल जाँच को सुनिश्चित करें। गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों में यत्र-तत्र बिखरित जल स्रोतों की जाँच करने से गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों को चिन्हित् करने में कठिनाई होती है। अतः किसी भी ग्राम/टोले के यदि एक स्रोत की जाँच की जाती है तो उस ग्राम/टोले में अवस्थित सभी जल स्रोतों की जाँच पूर्ण की जाय। यदि किसी स्रोत के जल में गुणवत्ता दोष पाया जाता है तो उसको सुनिश्चित करने हेतु जल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भी जाँच के लिए भेजा जाय। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला से जल में गुणवत्ता दोष सुनिश्चित हो जाने पर इसकी जानकारी जाँच परिणाम की प्रति के साथ लाभार्थी एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/वार्ड सदस्य को दी जाय। साथ ही साथ गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों में किये गये सभी जल जाँच के फलाफल को भारत सरकार की वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाय तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्राम/टोलों का एक "डाटा बैक" तैयार किया जाय।

यदि किसी जल स्रोत के जल में गुणवत्ता दोष राज्य स्तरीय प्रयोगशाला से भी सुनिश्चित हो जाता है तो उस जल स्रोत को लाल रंग से चिन्हित् किया जाय, ताकि ग्रामीणों द्वारा इसके जल का उपयोग पीने एवं खाना पकाने में नहीं किया जा सके। मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से मुख्यालय अवस्थित 'जल गुणवत्ता कोषांग' को उपलब्ध कराया जाय। उपर्युक्त निदेशों का पालन सख्ती से किया जाय।

5.8.10

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 6/ज0गु0-105/2008- पटना, दिनांक-
प्रतिलिपिः- सभी अधीक्षण अभियंता (योजना एवं रूपांकण तथा यांत्रिक प्रमंडलों को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश है कि अपने स्तर से जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं के कार्य-कलापों की समीक्षा नियमित रूप से करें, ताकि दिये गये निदेशों का पालन प्रमंडलों द्वारा सुनिश्चित किया जा सके।

ह0/-
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/ज0गु0-105/2008- 2377 पटना, दिनांक- 6/8/10
प्रतिलिपिः- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.8.10
(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

Letters